रैली निकाली

बिजयनगर, (निसं)। स्विप कार्यक्रम के अंतर्गत सतरंगी सप्ताह के पांचवें दिन पीले रंग के साथ विकास अधिकारी मसूदा, स्वीप कार्यक्रम प्रभारी हेमलता सहायक कृषि अधिकारी मसूदा आदि मौजूद थे।

उत्तर में देवनानी व सारस्वत ने मत और समर्थन मांगा

अजमेर, (कासं)। अजमेर उत्तर से भाजपा प्रत्याशी वासुदेव देवनानी ने सोमवार को वार्ड 01, 68 व 05 में जनसम्पर्क कर मत व समर्थन मांगा। जनसम्पर्क के दौरान जगह–जगह पर देवनानी का भव्य स्वागत किया गया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानचन्द सारस्वत ने सेंशन कोर्ट, रेवन्यू बोर्ड, प्रेस कूब, माकडवाली व विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क किया व केंसरगंज में कार्यालय का उद्घाटन किया। देवनानी ने आज सोमवार को प्रातः जनसम्पर्क की शुरूआत वार्ड 01 में हरिभाऊ उपाध्याय नगर स्थित नानू टी स्टॉल से की।

उन्होनें हरिभाऊ उपाध्याय नगर, महादेव नगर, ज्ञान विहार, बडल्या की ढ़ाणी, आजाद नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में जनसम्पर्क की शुरूआत की। जनसम्पर्क के सैकण्डों की संख्या में कार्यकर्ता साथ रहते हुऐ 'पांचवी बारी देवनानी' 'विकास की निशानी कमल और देवनानी' जैसे नारे लगा रहे थे। जनसम्पर्क के दौरान क्षेत्रवासियों ने जगह–जगह पर देवनानी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया।

इसी क्रम में देवनानी ने वार्ड 68 में अखाड़े वाले बालाजी मंदिर में दर्शन कर जनसम्पर्क की शुरूआत की। देवनानी ने वार्ड 68 में हाथीभाटा, राजेन्द्रपुरा, सुन्दरविलास, बापूनगर, प्रभात सिनेमा, लक्ष्मीनारायण मंदिर गली, बंजारा बस्ती सहित विभिन्न क्षेत्र में जनसम्पर्क किया। क्षेत्रवासियों द्वारा देवनानी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया।

अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की जनता केजन संपर्क के दौरान ज्ञानचंद सारस्वत ने कहा कि न तो किसी को जिताने ना किसी को हराने के लिए मैदान में हूं, इस रण में मेरी जीत के लिए आश्वत हूँ मैं खुद जीतने के लिए जनता के टिकिट पर प्रत्याशी बना हूँ, वोट देने वाली जनता जर्नादन के आशीर्वाद से विधायक बनने की ओर अग्रसर हूँ।

अजमेर के चहुंमुखी विकास के लिए खड़ा हुआ जनता व सभी समाज के वर्गों का अपार समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। जीतकर सभी जाति बिरादरियों व मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं का समाधान करूंगा।

गौ भक्ति उत्सव मनाया

ब्यावर, (निसं) प्रेम प्रकाश आश्रम मे कार्तिक महोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आश्रम के संत शम्भूलाल ने बताया की कार्तिक महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किये जा रहे है। प्रचार प्रमुख नरेंद्र जेसवानी ने बताया की सोमवार को गोपाष्टमी के अवसर पर मसूदा रोड स्थित तिजारती गौ शाला मे संत शभूलाल के सानिध्य मे मे सतसंग किया। गौ माता की पूजा अर्चना कर गुड़ लापसी और हरा चारा खिला कर आरती की गयी। शाम को आश्रम मे सत्संग किया गया एव आरती पूजन कर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर उद्धवदास गुरनानी, सुन्दर वासवानी, केशव कंजानी, वासु लालवानी, नरेश मंगनानी, चंचल दास, सनी बाबानी,रवि लालवानी, पावन राजवानी, कुमार साधनानी, सहित कई जने मौजूद रहे।

बिजयनगर संवाददाता के अनुसारः– ग्राम बाड़ी माता गौशाला में गोपाष्टमी पर गौ माता का पूजन कर गौ माता को लापसी का भोग लगाया। मान्यता के अनुसार गोपाल अष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्णा गोचारण को प्रथम बार गए थे इसी कारण गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है।

कथावाचक अर्जुन राम महाराज ने गौ भक्तों को एवं ग्वालों को आशीर्वचन दिया। गुरु मां सावित्री देवी राजेंद्र टाक ,अशोक टाक गौभक्त धनराज कावडिया पदम मुनोत मनीष शर्मा जितेंद्र चौहान राजेंद्र,धर्मचंद व्यास, बाबूलाल जोशी गौशाला व्यवस्थापक लाभचंद प्रजापत, नोरतमल जाट, कैलाश चंद गुर्जर, प्रभुलाल चौहान, हेमराज जाट, कालूराम भील देवराज गुर्जर पशु सहायक सांवरलाल जांगिड़ गौ माता का पूजन कर आशीर्वाद लिया। कृष्णा टांक ने सभी ग्वालों का ऊपरना ओढ़ाकर भक्तों का आभार व्यक्त किया।

सतरंगी सप्ताह में निकाली रैली

अजमेर, (कासं)। विधानसभा चुनाव 2023 में सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत सोमवार को शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से नव मतदाताओं एवं शहरी क्षेत्रा में उदासीनता रखने वाले मतदाताओं को जागृत करने के लिए मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जिले के आठों विधानसभा क्षेत्रा में तथा 325 ग्राम पंचायत में सुबह 11 बजे रैली के माध्यम से शनिवार 25 नवंबर को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया।

जैन संत ने प्रवचन दिए

अजमेर, (कासं)। ज्ञान के साथ राग–द्वेष आ जाने पर वह सार्थक नहीं होता है। जीवन में वस्तुस्थिति को समझने के लिए बाहरी दृष्टि से अधिक महत्व अर्न्तदृष्टि व आत्मदृष्टि का होता है। आत्मदृष्टि हमारे भीतर की खामियां सामने लाने से हमारे जीवन को विकार रहित कर देती है।

ये विचार श्री जैन श्वेताम्बर संस्था पार्श्वनाथ कॉलोनी, वैशालीनगर के तत्वावधान में सोमवार को नियमित चातुर्मासिक प्रवचन में पूज्य दादा गुरूदेव मरूधर केसरी मिश्रीमलजी म.सा., श्री सुकन मुनिजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती युवा तपस्वी श्री मुकेश मुनिजी म.सा. के सानिध्य में सेवारत्न हरीशमुनिजी म.सा. ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जीवन में कर्मबंध रोकने के साथ पुराने कमी का क्षय करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हमारी साधना को विकार रहित बनाना है तो हमे आत्मदृष्टि पाने की साधना करनी होगी। जिसे आत्मदृष्टि मिल जाती वह जीवन में कभी भटकता नहीं है। उन्होंने जैन रामायण का वाचन करते हुए विभिन्न प्रसंगों की चर्चा की।

धर्म सभा मे युवारत्न नानेश मुनिजी म.सा. ने कहा कि हम जितना गहरा धर्म से जुड़ेंगे उतने ही कर्म बंधन को कमजोर करेगे। धर्म से दूरी हमारे कर्म बंधन की जकड़ को कम नहीं होने देती ओर हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते है। मोक्ष को पाने के लिए धर्म व जिनवाणी को अपना कर्म खपाने होंगे। धर्मसभा में मधुर व्याख्यानी हितेशमुनिजी म.सा. ने कहा कि कई व्यक्ति जीवन में बिना मेहनत व पुरूषार्थ सब कुछ पाना चाहते है लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सकता। बिना पुरूषार्थ किए कुछ हासिल भी कर लिया तो वह टिकाउ नहीं होगा। कोई भी कार्य तभी सार्थक व सफल होता है जब उसमें हमारी मेहनत लगी होती है।

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक –न.प.बि/नामा./2023/3951 **आम सूचना** दिनांक : 20.11.2023

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान व प्लॉट गृहकर पंजिका में अन्तरण हेतु निम्न विरासत पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद, गुजरने पर कोई उज्र / आपत्ति मान्य नहीं होगी।

नामान्तरण

फाइल नं.	आवेदनकर्ता का नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
328	सुषमा पत्नि स्व. श्री नन्दलाल	हनुमान हाउसिंग कॉलोनी बिजयनगर पार्ट नं. ई भू.सं. 52 में से पूर्वी हिस्सा	75.53 SQ.YARD	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक –न.प.बि/नामा./2023/3948 **आम सूचना** दिनांक : 20.11.2023

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान व प्लॉट गृहपंजिका में अन्तरण हेतु निम्न विरासत पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद, गुजरने पर कोई उज्र / आपत्ति मान्य नहीं होगी।

नामान्तरण

फाइल नं.	आवेदनकर्ता का नाम	मूल आवंटी नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
326	1. गजराज पुत्र रामकरण जाट 2. देशराज पुत्र रामकरण जाट	रामकरण जाट बालूराम जाट	चांदमल विनायकिया नगर ख. सं. 822 से 830 भू.सं. 64	147.50 SQ.YARD	आवासीय
327	1. गजराज पुत्र रामकरण जाट 2. देशराज पुत्र रामकरण जाट	रामकरण जाट बालूराम जाट	चांदमल विनायकिया नगर ख. सं. 822 से 830 भू.सं. 65	30.00 SQ.YARD	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डलः अजमेर

क्रमांकः 1622 दिनांकः 17-11-2023

जाहिर आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 1-ज- 26 आनासागर सरक्यूलर रोड़ अजमेर में श्री पन्ना लाल पुत्र श्री हरजी राम को आवंटित कर दिनांक 08.01.1979 को मकान का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री पन्ना लाल पुत्र श्री हरजी राम द्वारा दिनांक 28.12.1990 को उप-पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीयन करवा लिया गया हैं। पंजीयन पश्चात् श्री पन्ना लाल पुत्र श्री हरजी राम ने General Power of Attorney श्रीमती ज्ञान कवंर पत्नी श्री चाँद करण जैन के पक्ष में निष्पादित की गई। श्रीमती ज्ञान कवंर पत्नी श्री चाँद करण ने आवास का बैचान श्री टीकम दास पुत्र श्री झम्मूमल को कर दिया गया। श्री टीकमदास बादलानी पुत्र श्री झम्मूमल ने मुख्तारनामा आम श्री लालचन्द पुत्र श्री रोचीराम के पक्ष में निष्पादित किया गया। श्री लालचन्द पुत्र श्री रोचीराम ने आवास का बैचान श्रीमती जसोदा देवी पत्नी श्री लालचन्द को कर दिया गया। श्रीमती जसोदा देवी की मृत्यु दिनांक-03.11.2016 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री लालचन्द द्वारा वसीयतनामा प्रस्तुत कर मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अब श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री लालचन्द ने उक्त आवास से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वंय के नाम हस्तांतरण करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं। श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री लालचन्द का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन हैं। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड अजमेर

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक / नियमन /2023-24/1124 दिनांकः 20/11/2023

लोक सूचना

निम्नांकित खातेदारों ने इस कार्यालय में निचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र.सं.	आवेदक का नाम	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	प्रेम सिंह पुत्र बाबू सिंह, रसूल पुत्र दीना, शौकिन खान पुत्र इस्माइल खान, शौकीन चौधरी पुत्र मांगीलाल हिस्सा पूर्ण।	गढीयोरियान	2170/1528	0.5261 हेक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष के समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्वनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 20/11/2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

Tel No. 01462-258665, 257509 Email Id- npbeawar@gmail.com

क्रमांक/ 69–ए/ 2023–24/9805 दिनांकः– 20–11–2023

आम सूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के तहत निम्न आवेदकों ने 69ए के तहत पट्टा विलेख जारी किये जाने हेतु उनके नाम के सामने अंकित स्थानों/क्षेत्रफल का आवेदन किया है।

क्र. सं.	नाम पिता/पति का नाम	आवेदित भूखण्ड का पता	भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गगज में	प्रयोजनार्थ
1	श्री दिलीप कुमार जाजू पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद जाजू	प्लॉट नं. 01, 24बी., 24सी, चिम्मन सिंह लोढा 833.33 नगर, ब्यावर	833.33	वाणिज्यक
2.	श्री दिलीप कुमार जाजू पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद जाजू, श्रीमती प्रभा पत्नि श्री दिलीप कुमार जाजू, श्रीमती सीता देवी पत्नि स्व. श्री जगदीश प्रसाद जाजू	प्लॉट नं. 02, 02ए., 03, 03ए, चिम्मन सिंह लोढा नगर, ब्यावर	995.82	वाणिज्यक

उपरोक्त सूची अनुसार 69ए के अन्तर्गत पट्टे दिये जाने है। किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस में साक्ष्य/दस्तावेजों सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

आयुक्त नगर परिषद,ब्यावर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहितओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तो की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	27618682 33918151	सम्पत्ति पर ऋण	1. नेमी चन्द गुर्जर 2. भंवरी देवी 3. रामचन्द्र हीरा	14.10.2023	11,37,641.35/-	रिहायशी सम्पत्ति पट्टा नं. 17, ग्राम-दुमारा, ग्राम पंचायत-दुमारा, पंचायत समिति-पीसांगन, जिला-अजमेर, राजस्थान-305206 का पूरा व प्रत्येक भाग, क्षेत्रफल 224.28 वर्गगज, और सीमायें है-पूर्व-स्वयं की सम्पत्ति और रोड, पश्चिम-अन्य भूमि, उत्तर-देवा जी की सम्पत्ति, दक्षिण-रामचन्द्र की सम्पत्ति

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-
दिनांक- 21.11.2023
स्थान- अजमेर
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहितओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तो की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	45848495	गृह ऋण	1. महिपाल पचार 2. जसू देवी	14.10.2023	8,02,988.15/-	सम्पत्ति पट्टा 035, बुक नं. 88, मिसल नं. 01/2020-21, वार्ड नं. 5, धुधजी का बास, सिरासना, तहसील-डेगाना, जिला-नागौर, राजस्थान-341514, का पूरा व प्रत्येक भाग, क्षेत्रफल 4440.00 वर्गफिट अर्थात 493.33 वर्गगज, और सीमायें है-पूर्व-हरमन राम देवासी का प्लाट, पश्चिम-आम रास्ता, उत्तर-आम रास्ता एवं निकल, दक्षिण-जस्सा राम जाट का प्लाट

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-
दिनांक- 21.11.2023
स्थान- नागौर
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

आम सूचना

मेरे पिता गणेश पुत्र बजरंग जाति बावरी निवासी ग्राम ढसूक की मृत्यु दिनांक 15-05-2021 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम ढसूक में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत ढसूक में नहीं करवाया था। अब मैं मेरे पिता गणेश पुत्र बजरंग बावरी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिस किसी को आपति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे। बाद मियाद कोई भी आपति स्वीकार नहीं होगी।

–प्रार्थी राजू पुत्र गणेश बावरी निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई (अजमेर)